न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00018

सीताराम आयु 50 वर्ष पुत्री औंकार जाति लोधा निवासी कंवरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र स्व0 श्री चौथमल जाति लोधा ।
2. चन्द्री बाई आयु 60 वर्ष पुत्री स्व0 श्री चौथमल पत्नी गिरधारी जाति लोधा।
3. चतुर्भुज आयु 60 वर्ष पुत्र लक्ष्मण जाति लोधा ।
4. गुलाब बाई आयु 50 वर्ष पुत्री लक्ष्मण पत्नी रामचन्द्र जाति लोधा निवासीगण कंवरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. धापू बाई आयु 45 वर्ष पुत्री लक्ष्मण पत्नी श्री दोला जाति लोधा निवीस गुडाला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. मेहनी बाई आयु 45 वर्ष पत्नी रामनारायण जाति लोधा ।
7. कैलाश चन्द आयु 22 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति लोधा ।
8. सुरेश चन्द आयु 19 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति लोधा निवासीगण कंवरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. सोहन बाई आयु 40 वर्ष पत्नी रमेश चन्द गोस्वामी जाति गुसाई निवासी गुडाला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अंसार अहमद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 6 से 8 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 188 एवं 91ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुडाला तहसील रामगंजमण्डी में पुराना खाता संख्या 52 में पुराना खसरा नम्बर 659 की रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । जिसका नया खसरा नम्बर 803 की रकबा 2.18 हैक्टर कायम किया गया । मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/20 स्थित है एवं प्रतिवादी क्रम 01 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 03 लगायत 5 व उनकी माता स्व0 श्रीमती शंकरी बाई बेवा लक्ष्मण का प्रत्येक का हिस्सा 1/16 भाग एवं प्रतिवादी क्रम 06 के पति व प्रतिवादी क्रम 07 लगायत 8 के पिता स्व0 श्री रामनारायण पुत्र औंकार का हिस्सा 1/20 एवं प्रतिवादी क्रम 09 का हिस्सा 3/20 दर्ज है एवं स्व0 जगन्नाथ पुत्र रामचन्द्र का हिस्सा 1/4 दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम कंवरपुरा तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 127 में कुल 02 किता की रकबा 0.54 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 01 के खाते में दर्ज है । ग्राम कंवरपुरा में ही नया खाता संख्या 50 में कुल 07 किता की 4.12 हैक्टर भूमि स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 03 के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है । उक्त भूमि का विभाजन पूर्व में पारिवारिक सहमति से हो चुका है । वादी के स्व0 पिता औंकार जी के छोटे भाई जगन्नाथ जी के कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने वादी के सगे भाई स्व0 रामनारायण को गोद रख लिया था इसलिए स्व0 औंकार जी को हिस्से में प्राप्त हुई वादपत्र की मद नं0 01 में वर्णित भूमि अकेले वादी को प्राप्त हुई परन्तु भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने से वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के खाते में त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज चली आ रही है । इसी प्रकार वादपत्र की मद संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजी जिसका पक्षकारान के मध्य पारिवारिक सहमति से विभाजन हो गया उसी अनुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने से उक्त भूमि अकेले प्रतिवादी क्रम 01 के नाम व वादपत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 03 के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज चली आ रही है । वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि के सहखातेदार वादी की बहिनें व माता राधा बाई, नन्दकंवर उर्फ धनकंवर बाई पुत्रियॉं औंकार व नन्दू बाई बेवा औंकार ने उनके हिस्से की 3/20 भाग भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रम 09 को कर दिये जाने से प्रतिवादी क्रम 09 उक्त भूमि में से 3/20 भाग पर काबिज काश्त हैं । शेष 17/20 हिस्से पर वादी अकेले काबिज काश्त चला आ रहा है जिसमें वादी के पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि के 17/20 हिस्से की भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 का नाम खाते से खारिज किया जाकर वादी को उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । उक्त भूमि का मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाकर उक्त भूमि का 17/20 हिस्सा पृथक से वादी के खाते दर्ज कर लगान राज पृथक से कायम किया जावे । उक्त भूमि में वादी की जाति को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम गुडाला में दर्ज चली आ रही वादी की जाति गोस्वामी के स्थान पर लोधा दर्ज किया जावे । प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि के वे वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा रही मुआवजा राशि को प्रतिवादीगण प्राप्त नहीं करें एवं वादी के भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2019 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को अशंतः स्वीकार किया है जबकि वादी का वाद संयुक्त आराजी के विभाजन का था । अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत विभाजन किया जाकर पक्षकारान के आराजी का पृथक–पृथक लगान कायम कर खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति थी । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो गया था और उसी अनुसार वे अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है । वादी के पिता औंकार जी के छोटे भाई जगन्नाथ जी के कोई संतान नहीं थी इसलिए रामनारायण उनके गोद चला गया था इसलिए रामनाराण के वारिसान का उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण नाम चला आ रहा है इस कारण प्रतिवादी का नाम उक्त खाते से हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट के खिलाफ धारा 53, 88, 89, 188 और 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया था जिसमें यह सहायता चाही गई थी कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी में 17/20 हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण का नाम खारिज किया जावे, वादी को खातेदार घोषित किया जावे और विभाजन किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । विभाजन के दावे में विभाजन की सहायता प्रदान नहीं की है । प्रारम्भिक डिक्री नहीं बनाई गई है । राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है सीधे ही अंतिम डिक्री पारित की गई है । औंकार जी के 02 पुत्र वादी सीताराम एवं रामनारायण थे। औंकार के छोटे भाई जगन्नाथ के कोई संतान नहीं थी इस कारण रामनारायण उनके गोद चला गया था । रामनारायण के वारिसों का इस सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है । ग्राम कंवरपुरा की आराजी का आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है और पक्षकारान आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है । स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत् कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है ।

इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 28.11.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी सीताराम ने एक दावा विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा का पेश किया था । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2038–41 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 669 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी चौथमल, लक्ष्मण, औंकार व जगन्नाथ के खाते में संभाग से दर्ज है और उसमें चौथमल की मृत्यु हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 326 के माध्यम से प्रभू पुत्र चौथमल और चन्द्री बाई पुत्री चौथमल का नाम दर्ज हुआ है । प्रदर्श– 2 मिलान क्षेत्रफल की नकल है और प्रदर्श– 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 है जिसके अनुसार कुल 07 किता की 4.12 हैक्टर आराजी चतुर्भुज पुत्र लक्ष्मण के तन्हा खाते में दर्ज है । प्रदर्श–4 फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 127 है जिसके अनुसार 02 किता की 0.54 हैक्टर आराजी प्रभू के तन्हा खाते में दर्ज है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पीडब्ल्यू–1 के रूप में सीताराम, पीडब्ल्यू–2 महेन्द्रपाल एवं पीडब्ल्यू–3 रमेश के शपथ पत्र संलग्न किये गये है परन्तु शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथपत्रों की ताईद नहीं की है । इस प्रकार ये शपथ पत्र मौखिक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं ।

11. वादी सीताराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं करवाया है फिर भी दस्तावेजों पर प्रदर्श नम्बर अंकित किये गये हैं और इसमें प्रदर्श– 3 और 4 प्रमाणित प्रतियाँ भी नहीं है । इसके अलावा पत्रावली पर कुछ जमाबन्दियों की फोटो प्रतियाँ भी संलग्न हैं वो प्रदर्श नहीं करवायी गई हैं । पत्रावली पर संलग्न मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 658 के हाल खसरा नम्बर 803 बने हैं । साबिक खसरा नम्बर 659 प्रदर्श– 1 के अनुसार पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है इसके हाल खसरा नम्बर 803 की जमाबन्दी की फोटो प्रति पेश की गई है प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है । वादी अपीलान्ट ने अपने दावे में विभाजन की सहायता भी मांगी है और साबिक खसरा नम्बर 659 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसका विधिक रूप से विभाजन करवाने के वादी अधिकारी हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की सहायता वादी को प्रदान नहीं की है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2019 निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के मध्यनजर सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा